राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 34/पार्ट ।।/2013/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर–प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा।

विषय :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 30.05.2014 को आयोजित किए जाने बाबत।

संदर्भ :– निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2013/328 दिनांक : 19.06.2013 एवं पत्रांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ–46 पार्ट ।।/2013/375 दिनांक : 02.07.2013 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के कम में लेख है कि दिनांक 16.12.2013 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु आयोजित की गई प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग द्वारा प्रवेश देने हेतु दिनांक 30.05.2014 निर्धारित की गई है।

अतः लेख है कि आरक्षण की श्रेणीवार आपके यहां प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार द्वितीय काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करे। जिसके लिए कम से कम 7 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड काल लेटर्स जारी कर दिया जाना सुनिश्चित करे तथा आरक्षण की श्रेणीवार किस किस श्रेणी की कितनी कितनी रिक्त सीटों के लिए कितने कितने अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु 30.05.2014 को बुलाया गया है की सूचना दिनांक 27.05.2014 तक फैक्स न. 0141–2222683 व ई मेल आई–डी **jd55training@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

द्वितीय काउंसलिंग के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यार्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत (कट ऑफ मार्क्स) का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावें तथा बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा जिला कलेक्टर, संयुक्त निदेशक जोन तथा जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना भी सुनिश्चित करे।

यदि कोई ऐसे अभ्यार्थी उपस्थित होवे जो प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित रही हो तो उसे भी उसके वरियतानुसार द्वितीय काउंसलिंग में अवसर दिया जावे। चयन समिति पूर्व की भांति ही रहेगी जिसके लिए जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि का आदेश जारी करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

शेष निर्देश/विवरण संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार ही रहेगा।

(दिनेश कुमार जांगिड)
अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 34/पार्ट ।।/2013/867 दिनांक : 21/5/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।,
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
5. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला रोजगार अधिकारी ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई–मेल करने की व्यवस्था करावें।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट जारी करवाने का श्रम करावें।
9. कार्यालय प्रति।

(दिनेश कुमार जांगिड)
अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर

D:\Traning Section\ Hindi letter 2014